न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :– पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :– 40/2026

01. अब्दुल सतार पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी सियासर हाल चक 37 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .....वादी

बनाम

01. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । .....प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट , 136 एलआरएक्ट

निर्णय दिनांक :–19.03.26

यह वादपत्र/प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। वादपत्र/प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण वादपत्र अनुसार इसप्रकार है कि वादी के नाम से चक 37 केवाईडी खाता सं0 53 मु0नं0 142/33, 41, 42, 50 की कुल 17.7535 हैक्टर में 3/4 हिस्सा भूमि सतार पुत्र खुदाबक्स जाति मुसलमान निवासी सियायर चौगान के नाम से खातेदार राजस्व रिकॉर्ड दर्ज है। वादी को उक्त भूमि विरासतन प्राप्त हुई। वादी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं होने के कारण वादी का नाम विरासतन दर्ज करते समय पटवारी द्वारा वादी का अधूरा नाम राजस्व रिकॉर्ड में सतार दर्ज कर दिया गया जबकि वादी का पूर्ण नाम अब्दुल सतार है। वाद के सभी पहचान दस्तावेजों में वादी का नाम अब्दुल सतार है, जैसे आधारकार्ड, पैनकार्ड, राषनकार्ड, परिचयपत्र, मूलनिवास सभी दस्तावेजों में अब्दुल सतार है। वादी अपनी उक्त भूमि पर केसीसी ऋण लेने के लिये बैंक गया तो बैंक द्वारा वादी को लोन देने से मना कर दिया की राजस्व रिकॉर्ड में आपका नाम सतार खां दर्ज है। वादी ने पटवारी से रिकॉर्ड में दर्ज नाम के बारे पूछा तो पटवारी ने कहा की सहवन से आपका नाम विरासतन दर्ज करते समय अब्दुल सतार की जगह अधूरा नाम सतार हो गया है। वादी अपने उक्त सभी दस्तावेजों के आधार पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम सतार से अब्दूल सतार की घोषणात्मक दुरूस्ती करवाने का अधिकारी है। उक्त भूमि पर वादी का शान्तिपूर्वक कब्जा काष्त है एवं उक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है। वादी के नाम से उक्त भूमि दर्ज है। केवल मात्र अब्दुल सतार की जगह सतार अंकित है। जिसे प्रार्थी दुरूस्त करवाना चाहता है। नाम गलत इन्द्राज होने के कारण वादी को काफी परेषानियां हो रही है। जिसे वादी दुरूस्त करवाने का मुस्तहक हकदार है। वादी का वादपत्र स्वीकार तहसील खाजूवाला के चक 37 केवाईडी खाता सं0 53 मु0नं0 142/33, 41, 42, 50 की कुल 17.7535 हैक्टर में 3/4 हिस्सा भूमि जो कि प्रार्थी के नाम से है। उक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम सतार खां दर्ज है की जगह अब्दुल सतार किये जाने के आदेष प्रदान करें ताकि तमाम रिकॉर्ड में वादी का नाम दुरूस्त हो सके। अतः वादपत्र पेषकर श्रीमान से निवेदन है कि वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में सतार की जगह अब्दुल सतार दुरूस्त करने के आदेष फरमाने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में अब्दुल सतार, निर्वाचन नामावली, मूलनिवास, राषनकार्ड, आधारकार्ड, पैनकार्ड, जमाबंदी की प्रति प्रस्तुत की। ग्राम पंचायत 40 केवाईडी तस्दीक प्रस्तुत की जिसमें लिखा है कि सतार व अब्दुल सतार दोनो नाम एक ही व्यक्ति के है। पत्रावली पर सुना गया। वादी/प्रार्थी ने वादपत्र/प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य–सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। वादी/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 88 आरटीएक्ट , धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/ शक्तियों का प्रयोग करते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 37 केवाईडी खाता सं0 53 मु0नं0 142/33, 41, 42, 50 की कुल 17.7535 हैक्टर में 3/4 हिस्सा कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी/प्रार्थी के पिता का नाम सतार की जगह अब्दुल सतार संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच सतार नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का सतार नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थी का नाम सतार ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी/वादी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 19.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)